न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
30 / 2021	16.07.2021	20/2/26

1. रामस्वरूप पुत्र जगन्या, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह. तलावडा
2. रामधन पुत्र मोती, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह. तलावडा
3. रामहेत पुत्र मोती, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह. तलावडा ——प्रार्थीगण

वनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तलावडा
2. रामप्रसाद पुत्र हीरालाल, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह. तलावडा

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राज0 अधिनियम

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री रामदयाल त्रिवेदी, एड. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 459, 459 / 1829, 415 / 1621, 418, 415 / 1622 ग्राम रामगढ मुराडा मे स्थित है। इनका सीमाकंन तहसीलदार साहब गंगापुर सिटी के आदेशानुसार दिनांक 22.6.2022 को किया जा चुका है। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 305, 307 ग्राम रामगढमुराडा, नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.6.2020 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 रामप्रसाद ने आपत्ति प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी रामस्वरूप जगन्या का पुत्र नही है बल्कि इसके पिता का नाम मोती है तथा रामस्वरूप पुत्र मोती के [illegible] उसकी खातेदारी मे ख0न0 459, 459 / 1829 ग्राम रामगढ [illegible] ने अपने पिता का नाम जगन्या गलत दर्ज किया है। आपत्ति प्रार्थना पत्र के विशेष विवरण [illegible] अंकित किया है कि मोती के तीन पुत्र रामस्वरूप, राम[illegible], रामहेत है एवं [illegible] के पिता का नाम पांच्या था। रामस्वरूप ने भूमि ख0न0 235 / 8 रकबा 8 बिस्वा का नामान्तकरण जगन्या मोती रामस्वरूप पिता पाच्या के नाम से खुलवा लिया। इस प्रकार रामस्वरूप पांच्या का पोता है। प्रार्थी रामस्वरूप ने अपने आप को जगन्या का पुत्र बताकर ख0न0 235 सिवायचक मे से 4 बीघा जमीन अलॉट

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.16 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अ...
गंगापुर सिटी

करवा ली एवं रामस्वरूप पुत्र मोती के नाम से 5 बीघा जमीन आलॉट करवा ली। इस प्रकार प्रार्थी ने चालाकी करते हुए राज्य सरकार की कीमती जमीन हड़प ली है। भूमि गत ख0न0 235 सिवायचक के पास प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के बुजुर्गों की भूमि ख0न0 234 स्थित रही है। गत खसरा नम्बर 234 का रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा था जिसका मिलान क्षेत्रफल मे नवीन ख0न0 415 रकबा 1.43 है0 बनाया है जो 1.57 है0 होना चाहिए परन्तु भूप्रबन्ध विभाग द्वारा 0.14 है0 भूमि कम दर्ज कर दी गई है। गत खसरा नम्बर 234 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा पर भौरया, रतनलाल, किशनलाल, हीरालाल, सुखिया पुत्रान भोला के वारिसों का कब्जा चला आ रहा है। जिसकी घोषणा खातेदारी के लिए न्यायालय सहायक कलक्टर गंगापुर सिटी मे दावा व टीआई प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। टीआई प्रार्थना पत्र मे माननीय न्यायालय ने दिनांक 14.10.2021 को भूमि ख0न0 415/1621 रकबा 0.07 है0 व ख0न0 415/1622 जो कि खसरा नम्बर 415 से उत्तर पूर्व लगती हुई है एवं जिसे नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है कि यथास्थिति के लिए अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस मुकदमे मे अप्रार्थीगण रामस्वरूप वगेरा ने जबाब का कई बार अवसर दिये जाने के बाद भी जबाब नही दिया है। धारा 128 एलआर एक्ट का प्रार्थना पत्र इस दावे के निस्तारण तक स्थगित किया जाना कानून सम्मत है। प्रार्थीगण ने केवल मिन जबाबदार को ही इस प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया है जबकि नियमानुसार अन्य सहखातेदारों को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना धारा 128 एलआर एक्ट का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी की ओर से नकल आदेशिका दिनांक 14.10.2021 से निरन्तर, नकल टीआई प्रार्थना पत्र उनवानी परसादी वगैरा बनाम रामस्वरूप वगैरा न्यायालय सहायक कलक्टर गंगापुर सिटी प्रस्तुत किये गये है।

इस आपत्ति प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी रामस्वरूप ने जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी रामस्वरूप के प्राकृतिक पिता का नाम मोती है एवं प्रार्थी रामस्वरूप जगन्या का दत्तक पुत्र है। भूमि ख0न0 457 व 415/1621 मे प्रार्थी का सही रूप से नाम रामस्वरूप पुत्र ज[illegible] दर्ज है। भूमि ख0न0 459 व 459/1621 भी प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है [illegible] प्रार्थी के प्राकृतिक पिता मोती के तीन पुत्र प्रार्थी स्वयं, रामस्वरूप, [illegible] व रामहेत रहे है।इसलिए रिकॉर्ड मे प्रार्थी के प्राकृतिक पिता मोती का नाम दर्ज है। जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि प्रार्थी ने अपनी भूमि की पत्थरगढी के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योकि अप्रार्थी झगडालू किस्म का व्यक्ति है एवं 128 एलआर एक्ट का प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी से बाधित नही है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.16 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

आपत्ति अस्वीकार फरमायी जाकर भूमि की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश फरमावें।

वकील उभयपक्ष को सुना गया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण भूमि ख0न0 459, 459/1829, 415/1621, 415/1622 व 418 ग्राम रामगढ मुराडा की पत्थरगढी कराना चाहते है। अप्रार्थी रामप्रसाद की ओर से प्रस्तुत नकल आदेशिका दिनांक 14.10.2021 के अनुसार भूमि ख0न0 415/1621, 415/1622 ग्राम रामगढ मुराडा की मौके की यथास्थिति बनाए रखने के लिए न्यायालय सहायक कलक्टर गंगापुर सिटी द्वारा प्रार्थीगण रामस्वरूप वगैरा को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा चाहे गये खसरा नम्बरों मे उपरोक्त वर्णित दोनो नम्बरों से सम्बधित वाद सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन होने के कारण इन नम्बरों के बाबत पत्थरगढी का आदेश दिया जाना उचित नही है। शेष खसरा नम्बरों के बारे मे भी हमारा यह मत है कि आंशिक रूप से पत्थरगढी का आदेश दिया न्यायोचित नही है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 128 एलआर एक्ट खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत 128 एलआर एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.3.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.16 17:44:32 IST
Reason: SelfAttested